उत्तर प्रदेश शासन
आयुष अनुभाग-2
संख्याः-22/2020/आ0मि0-116/96-आयुष-2-2020-53/2018
लखनऊः दिनांक 12 अक्टूबर, 2020

<u>कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि-पत्र</u>

शासनादेश संख्या-20/2020/आ0मि0-115/96-आयुष-2-2020-53/2018, दिनांक 09.10.2020 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्य-योजना हेतु स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 09.10.2020 के प्रस्तर-2 में लेखाशीर्ष 2010 के स्थान पर लेखाशीर्ष 2210 संशोधित समझा/पढ़ा जाय।

2- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-20/2020/आ0मि0-115/96-आयुष-2-2020-53/2018, दिनांक 09.10.2020 शेष यथावत रहेंगा।

लक्ष्मण सिंह
उप सचिव।

<u>संख्या-22/2020/आ0मि0-116(1)/96-आयुष-2-2020 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, निदेशक, आयुर्वेद योगा एवं नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी मंत्रालय आयुष भवन बी-ब्लाक जी0पी0ओ0 काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली।
3. मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, यूनानी निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3, वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, नियोजन अनुभाग-4, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1-2 एवं आयुष अनुभाग-1
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in